फाइल नं0-71-3002(001)/2/2021-03

129/2023/I/435796/2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 29 नवम्बर, 2023**

विषयः-केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत मेडिकल कालेज, कानपुर देहात, औरैया तथा बुलन्दशहर के निर्माण कार्य हेतु राज्यांश के रूप में धनराशि एस0एन0ए0 एकाउण्ट में अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता, भवन सेल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-980/बजट/भवन सेल, दिनॉक 15.09.2023 के क्रम में अवगत कराना है कि केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, कानपुर देहात, औरैया तथा बुलन्दशहर के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निम्न विवरणानुसार धनराशि अवमुक्त की गई है:-

(रू0 करोड़ में)

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	निर्माण कार्य की लागत	अवमुक्त केन्द्रांश	अवमुक्त राज्यांश	कुल अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	कानपुर देहात	283.3756	187.9935	66.67	254.6635
2	औरैया	280.1657	188.5635	66.67	255.2335
3	बुलन्दशहर	269.4430	188.5635	66.67	255.2335

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत मेडिकल कालेज, कानपुर देहात, औरैया तथा बुलन्दशहर के निर्माण कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार कुल रू0 18.0201 करोड़ (रू0 अट्ठारह करोड़ दो लाख एक हजार मात्र) की धनराशि राज्यांश के रूप में अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	लेखाशीर्षक	प्राविधानित धनराशि	धनराशि
1	2	3	4	5
1	मेडिकल कालेज , कानपुर देहात	4210-03-105-8920	40.00	8.5274
2	मेडिकल कालेज , औरैया	4210-03-105-8919	40.00	8.7554

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3	मेडिकल कालेज , बुलन्दशहर	4210-03-105-8916	40.00	0.7373
			कुल योग-	18.0201

3- केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत मेडिकल कालेज, कानपुर देहात, औरैया तथा बुलन्दशहर के निर्माण कार्य हेतु राज्यांश की स्वीकृत की जा रही धनराशि को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यालय के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर सिंगल नोडल एजेन्सी के सिंगल नोडल एकाउन्ट संख्या- 40601009117, भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ के खाते में रखा जायेगा, जिसे कार्यदायी संस्था को जीरो बैलैन्स एकाउन्ट महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, लखनऊ फेज-3 खाता संख्या- 40681736693 के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. उक्त 03 मेडिकल कालेजों के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेशों में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231 /2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त पर होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 4210031058916 (मेडिकल कालेज, बुलन्दशहर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
I	031	4210031058916 मेडिकल कालेज, बुलन्दशहर	24 वृहत् निर्माण कार्य	73,73,000 (रुपये तिहत्तर लाख तिहत्तर हजार मात्र)
	कुल			**73,73,000** **(रुपये तिहत्तर लाख तिहत्तर हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058919 (मेडिकल कालेज, औरैया)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
I	031	4210031058919 मेडिकल कालेज, औरैया	24 वृहत् निर्माण कार्य	8,75,54,000 (रुपये आठ करोड़ पचहत्तर लाख चौवन हजार मात्र)
	कुल			**8,75,54,000** **(रुपये आठ करोड़ पचहत्तर लाख चौवन हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058920 (मेडिकल कालेज, कानपुर देहात)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
I	031	4210031058920 मेडिकल कालेज, कानपुर देहात	24 वृहत् निर्माण कार्य	8,52,74,000 (रुपये आठ करोड़ बावन लाख चौहत्तर हजार मात्र)
	कुल			**8,52,74,000**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				(रुपये आठ करोड़ बावन लाख चौहत्तर हजार मात्र)

महायोग	18,02,01,000 (रुपये अठारह करोड़ दो लाख एक हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-231/दस-2023-24, दिनांक 28 नवम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या- उपरोक्तानुसार, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कानपुर देहात, औरैया तथा बुलन्दशहर।
5. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।